

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

20.4.24 वकील इनामपट्टा उपस्थित / बहस हेतु समय
चाहा / आदेश अवरुद्ध दिनांक 27.5.24 को पेश हो।

बहुविध कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज.)

27.5.24 वकील इनामपट्टा उपस्थित / बहस हेतु समय
चाहा / आदेश अवरुद्ध दिनांक 28.6.24 को पेश हो।

बहुविध कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज.)

28.6.24 वकील इनामपट्टा उपस्थित / बहस हेतु समय
चाहा / न्यायाधीश के आदेश अवरुद्ध दिनांक 9.7.24 को पेश हो।

बहुविध कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज.)

9.7.24 वकील इनामपट्टा उपस्थित / P.O. साहब
दीनार राज मार्ग में व्यस्त है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 26.7.24 को पेश हो।

②


26.7.24 वकील इनामपट्टा उपस्थित / बहस हेतु समय
चाहा / न्यायाधीश के आदेश अवरुद्ध दिनांक 12.8.24 को पेश हो।

बहुविध कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज.)

12.8.24 वकील इनामपट्टा उपस्थित / बहस हेतु समय
चाहा / न्यायाधीश द्वारा पत्रावली का अप्रत्यक्ष
पत्रावली के माध्यम से कोई आदेश बहस हेतु दिनांक
12.8.24 को पेश हो।

दिने जा-मुदे ही वरस कुनी गरी वरील शासन
ने प्रथम पत्र के कवने को देहराते हुये कवन छि
छि सायल एवं गैरसायलक विवादि आरापी के
सह लातेदा का रसवा है, गैरसायलक विवादि
आरापी के ले सायल को बेदखल कर, गीन
साबहे को बेचान करना चाहते है इमालेप
गैरसायलक को अस्वार्थ निवेदना से मूलवाद
के निस्तार तक पाबंद किये जाने को निवेद
किया है। वरील गैरसायलक को कथन है छि
गैरसायलक को बेदखले के कोई आपत्ति नहीं है।
उन्हांने सायलक को कक्षा बंदवारे से गमा
नहीं किया है और ना ही कोई बेचान छि
है। पंजाबली का अवलोकन किया, वरस का
गनन किया। पंजाबली पर ऐसा कोई लाशप
उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध होला
हो कि गैरसायलक द्वारा विवादि आरापी
के विशिष्ट कृ. काग पर कलका या बेचान
किया हो। गैरसायलक को बेदखले हे लक्ष्य
है। अतः प्राप्य 212 खारिफ किया जाना
हम उचित समझते है।

आदेश है कि 212 रम खारिफ
किया जाना है। पंजाबली के सलशुका
होना संलग्न मूल कांड रहे।


बहायक कलक्टर नूकना
पीलपुर (राजगं)